न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क्र0 सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	02/25	2025/159	01.04.25	सरकार बनाम सुरेश सैनी	26.02.2026	1 लगायत4

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 02/2025 (2025/159)

उनवान प्रकरण

1. वेद प्रकाश पूर्विया (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

–आवेदक

बनाम

1. सुरेश सैनी पुत्र श्री बाबूलाल सैनी (मैसर्स सैनी चाट भण्डार, ईदगाह मोड, गंगापुर सिटी. निवासी अमित कॉलोनी, महू कला, गंगापुर सिटी। 322201 मो.न. 9783138269। अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 & 54 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध आहार मिलायट पर वार अन्तर्गत दिनांक 01.07.2024 को दोपहर 02:00 पी एम पर फर्म सैनी चाट भण्डार ईदगाह मोड, गंगापुर सिटी पर पहुंचा वहां जो व्यक्ति मिला उसने अपना नाम सुरेश सैनी पुत्र श्री बाबूलाल सैनी होना बताया। संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को **Mawa Burfi (made from mawa and sugar)** विक्रय हेतु रखा हुआ था। उक्त मावा बर्फी में गुणवत्ता/मिलावट का अन्देशा होने पर वास्ते नमुना जॉच 2 किलोग्राम खरीदकर उसकी कीमत 560/– रुपये सुरेश सैनी को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह महेन्द्र सैनी के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियों एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री सुरेश सैनी ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री सुरेश सैनी को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म स. 5ए एवं फर्द रिर्पोट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 किलोग्राम **Mawa Burfi (Made from mawa and sugar)** को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा **Mawa Barfi (made from mawa and sugar)** को प्रत्येक बोतल मे बराबर बराबर डालकर 40 बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल 40 बूंदे फार्मलीन डाली गई एवं पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमाक एच –3348 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। बारों नमूना नागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की [illegible] पेपर स्लिप न एच– 3348 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक [illegible] से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील [illegible] किया प्रत्येक [illegible] भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर [illegible] पर आवे। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं [illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:07:39 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छः की छ प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म से 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलवन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/714 दिनाक 26.07.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज, जयपुर से प्राप्त जाच रिर्पोट सं. एलएस/2810/एक्ट/2024/2645 दिनाक 09.07 2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Mawa Burfi (Made from mawa and sugar/ Substandard as the eÛtracted fat does not conform to the standards of Ghee/Milk Fat as prescribed under Food Safety and Standards (Food Products Standards and food additives) Regulation. 2011, The Sample is also food containing extraneous matter (foreign fat) under section 3(1)(i) of Food Safety and Standard Act 2006** होना पाया गया है। जाँच रिपोर्ट एवं पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ **Mawa Burfi (Made from mawa and sugar/ Substandard as the eÛtracted fat does not conform to the standards of Ghee/Milk Fat as prescribed under Food Safety and Standards (Food Products Standards and food additives) Regulation. 2011, The Sample is also food containing extraneous matter (foreign fat) under section 3(1)(i) of Food Safety and Standard Act 2006** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं 54 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गईं।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि खाद्य कारोबारकर्ताओं ने खाद्य पदार्थ **Mawa Burfi (Made from mawa and sugar/ Substandard as the eÛtracted fat does not conform to the standards of Ghee/Milk Fat as prescribed under Food Safety and Standards (Food Products Standards and food additives) Regulation. 2011, The Sample is also food containing extraneous matter (foreign fat) under section 3(1)(i) of Food Safety and Standard Act 2006** प्रकृति का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 54 में निर्धारित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudershan Singh
Date: 2026.03.12 10:07:39 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी जबाबदार एक छोटा दुकानदार है जिसके पास खाद्य पदार्थ विक्रय का लाईसेन्स है। उक्त प्रकरण में सेम्पलिंग की कार्यवाही आवेदक द्वारा की गई है जो कि सेम्पलिंग की कार्यवाही करने के लिये सक्षम व्यक्ति नहीं है। आवेदक द्वारा नियमों की अवहेलना की गयी है और गलत तरीके से खाली कागजों पर अभियुक्त के हस्ताक्षरों का दुरूपयोग करते हुये एक कागज को कैश मीमों का रूप दे दिया है। इस तरह भी उक्त कार्यवाही नियमानुसार नहीं होने व सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मुख्य खाद्य विश्लेषक राज, जयपुर से प्राप्त जाच रिर्पोट सं. एलएस/2810/एक्ट/2024/2645 दिनाक 09.07 2024 निम्नानुसार हैः–

Government of Rajasthan
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY
JAIPUR, (RAJASTHAN), Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004
FORM-VII A
Test Report of the Food Analyst
[See rule 2.4.2(5) and 2.4.4(6)]

NABL TC 8946

Report No. L.S. /2810/ Act / 2024 / 2645 Date: 09-07-2024

Certified that I Shuchita Agrawal, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from, Sh: Ved Prakash Purviya, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur a sample of "Mawa Burfi made from Mawa and Sugar" bearing Code number and Serial number II-3348 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer of Sawai Madhopur area on 02-07-2024 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows:
The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelop by hand.

I found the sample to be "Mawa Burfi Sweets made from Mawa and Sugar" falling under Regulation No. 2.12.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 03-07-2024 to 09-07-2024 and the result of its analysis is given below.

Analysis Report :-
(1) Sample description : - Sample is in a sealed and intact wide mouth plastic bottle.
(2) Physical appearance : - Creamish Yellow coloured soft solid material.

Sl. No	Quality Characteristics.	Nature of method of test used	Results.	Prescribed standards as per (a) As per provisions of the Act, and the rules and regulations made thereunder. (b) As per label declaration for Proprietary food.
1.	Test for added Starch.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.2.2:2016	Negative	Negative
2.	Test for added Sugar.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.2.1:2016	Positive.	Positive
3.	Test for added Urea.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.2.4:2016	Negative	Negative
4.	Test for Neutralizer	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.2.11:2016	Negative	Negative
5.	Test for Saccharin.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF FOOD ADDITIVES 2016 METHOD NO. 3.2:2016	Negative	As per Regulation No. 3.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011.
6.	Added synthetic colouring matter.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF FOOD ADDITIVES 2016 METHOD NO. 4.0:2016	Absent	As per Regulation No. 3.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011.
7.	B.R. Reading of extracted fat at 40.0° C.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.3.3:2016	47.7	40.0 to 44.0

The value obtained under parameter Butyro Refractometer reading at 40.0°C of extracted fat indicate that the Ghee/Milk Fat of the product has been substituted by foreign fat.

Opinion-The sample of "Mawa Burfi Sweets made from Mawa and Sugar" bearing Code No. and Sr. No. II-3348 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is Sub-Standard as the extracted fat does not conform to the standards of Ghee/Milk Fat as prescribed under Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011. The sample is also food containing extraneous matter (foreign fat) under section 3(1)(i) of Food Safety and Standard Act, 2006.

Signed this 09th day of July 2024

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM
Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur

Food Analyst
(Authorized Signatory)
SHUCHITA AGRAWAL

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY
Commissionerate of Food Safety and Drug Control,
A-Block, Swasthya Bhawan, Jaipur, Rajasthan

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:07:39 IST
Reason: SelfAttested

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Mawa Burfi (Made from mawa and sugar/ Substandard as the eUtracted fat does not conform to the standards of Ghee/Milk Fat as prescribed under Food Safety and Standards (Food Products

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Standards and food additives) Regulation. 2011, The Sample is also food containing extraneous matter (foreign fat) under section 3(1)(i) of Food Safety and Standard Act 2006 प्रकृति का होना पाया गया है। तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अभियुक्तगण को ख्खाद्य पदार्थ Mawa Burfi (Made from mawa and sugar/ Substandard as the extracted fat does not conform to the standards of Ghee/Milk Fat as prescribed under Food Safety and Standards (Food Products Standards and food additives) Regulation. 2011, The Sample is also food containing extraneous matter (foreign fat) under section 3(1)(i) of Food Safety and Standard Act 2006 प्रकृति का विकय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 के तहत जुर्माना राशि 50,000 रूपये (अक्षरे–पचास हजार रूपये), के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210–04–800–03–00–25% STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE .में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
गंगापुर सिटी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:07:39 IST
Reason: SelfAttested